संख्या :328/XIII-II/2013–41(05)/2013

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज–2,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक :17 अक्टूबर, 2013

विषयः प्रस्तावित विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के मैनुअल्स का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 186/3–30 दिनांक 18.7.2013 एवं पत्र संख्या 11–8 दिनांक 12.9.2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तावित 140मि.यू.एस. डॉलर की विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के Preparation Misson के दौरान विश्व बैंक से हुए विचार विमर्श के उपरान्त परियोजना के संचालन/क्रियान्वयन हेतु वित्त एवं क्रय से संबंधित निम्नलिखित 04विभिन्न मैनुअल्स का शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– तत्क्रम में आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के संचालन/क्रियान्वयन हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराए गये वित्त एवं क्रय से संबंधित 04विभिन्न मैनुअल्स यथा, Financial System Manual, Financial System Manual for Gram Panchayat, Project Procurement Manual, Community Procurement Manual के अनुमोदन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 82(P)/XXVII-4/2013, दिनांक 17.10.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।

संख्या :328 (1)/XIII-II/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।